

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	50737.45	26879.23	77616.68	50592.32	29606.28	80198.60	42885.92	30142.45	73028.37	54107.30	31992.78	86100.08
वसूलियां	-304.99	-1.46	-306.45	-157.99	-3609.01	-3767.00	-148.64	-3609.01	-3757.65	-158.99	-3364.52	-3523.51
प्राप्तियां
निवल	50432.46	26877.77	77310.23	50434.33	25997.27	76431.60	42737.28	26533.44	69270.72	53948.31	28628.26	82576.57
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	114.76	...	114.76	136.75	5.15	141.90	136.33	6.34	142.67	214.17	5.60	219.77
	-0.05	...	-0.05
निवल	114.71	...	114.71	136.75	5.15	141.90	136.33	6.34	142.67	214.17	5.60	219.77
1.02 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	1170.24	...	1170.24
1.03 संपदा निदेशालय	61.94	...	61.94	49.16	...	49.16	49.31	...	49.31	51.47	1.78	53.25
	-0.08	...	-0.08
निवल	61.86	...	61.86	49.16	...	49.16	49.31	...	49.31	51.47	1.78	53.25
1.04 भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना	16.59	...	16.59	21.97	...	21.97	33.13	...	33.13	28.54	...	28.54
1.05 अंतरराष्ट्रीय अंशदान	1.33	...	1.33	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
जोड़- सचिवालय	1364.73	...	1364.73	209.48	5.15	214.63	220.37	6.34	226.71	295.78	7.38	303.16
2. संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन												
2.01 नगर और ग्राम योजना संगठन	12.91	...	12.91	15.24	...	15.24	14.09	...	14.09	15.24	...	15.24
2.02 राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	5.56	...	5.56	8.00	...	8.00	7.50	...	7.50	5.93	...	5.93
2.03 दिल्ली शहरी कला आयोग	5.44	...	5.44	6.44	...	6.44	5.25	...	5.25	5.25	...	5.25
2.04 नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	12.16	...	12.16	13.50	...	13.50	11.93	...	11.93	10.48	...	10.48
2.05 एनसीआर आयोजना बोर्ड	55.10	...	55.10	65.10	...	65.10	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00
2.06 विभागीय कैंटीनों सहित राजघाट समाधि समिति	8.30	...	8.30	9.02	...	9.02	8.52	...	8.52	7.00	...	7.00
2.07 भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	6.50	...	6.50	7.50	...	7.50	7.00	...	7.00	7.50	...	7.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(बीएमटीपीसी)												
2.08 केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
2.09 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	3.81	...	3.81	4.32	...	4.32	4.20	...	4.20	4.35	...	4.35
2.10 स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	1.80	...	1.80	2.30	...	2.30
2.11 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	3287.74	4.50	3292.24	3298.15	1.81	3299.96	3399.95	3.10	3403.05
	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99
निवल	3283.75	4.50	3288.25	3294.16	1.81	3295.97	3395.96	3.10	3399.06
निवल	113.86	...	113.86	3416.97	4.50	3421.47	3409.55	1.81	3411.36	3509.11	3.10	3512.21
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1478.59	...	1478.59	3626.45	9.65	3636.10	3629.92	8.15	3638.07	3804.89	10.48	3815.37
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं												
3. मेट्रो परियोजनाएं												
3.01 इक्विटी निवेश	...	3596.75	3596.75	...	4471.00	4471.00	...	4467.83	4467.83	...	3364.51	3364.51
3.02 सरकारी हरित निधि को अंतरण	...	3202.56	3202.56	...	3609.00	3609.00	...	3609.00	3609.00	...	3364.51	3364.51
3.03 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि	-3609.00	-3609.00	...	-3609.00	-3609.00	...	-3364.51	-3364.51
3.04 गौण ऋण	...	1063.30	1063.30	...	1324.00	1324.00	...	1324.00	1324.00	...	1092.02	1092.02
3.05 पास थ्रू सहायता	...	10968.83	10968.83	...	13723.00	13723.00	...	13658.00	13658.00	...	16791.41	16791.41
3.06 महानगरीय और गैर-महानगरीय परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	58.17	...	58.17	88.04	...	88.04
जोड़- मेट्रो परियोजनाएं	...	18831.44	18831.44	...	19518.00	19518.00	58.17	19449.83	19508.00	88.04	21247.94	21335.98
4. कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण 1क	46.74	...	46.74
5. शहरी परिवहन में परिवहन योजना और क्षमता निर्माण	15.24	...	15.24	61.01	...	61.01
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	88.00	4622.00	4710.00	58.00	3538.00	3596.00	58.00	3538.00	3596.00	58.00	3538.00	3596.00
जोड़-एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	149.98	23453.44	23603.42	119.01	23056.00	23175.01	116.17	22987.83	23104.00	146.04	24785.94	24931.98
सामान्य पूल आवास												
7. आवासीय												
7.01 आवासीय	1229.11	1069.30	2298.41	...	667.33	667.33	...	1004.92	1004.92	...	1100.00	1100.00
8. गैर-आवासीय												
8.01 गैर-आवासीय	930.27	2353.84	3284.11	...	2132.63	2132.63	...	2495.08	2495.08	...	2600.00	2600.00
	-5.76	-0.01	-5.77	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
निवल	924.51	2353.83	3278.34	...	2132.62	2132.62	...	2495.07	2495.07	...	2599.99	2599.99
जोड़-सामान्य पूल आवास	2153.62	3423.13	5576.75	...	2799.95	2799.95	...	3499.99	3499.99	...	3699.99	3699.99
9. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)	405.83	...	405.83	468.00	...	468.00	468.00	...	468.00	326.32	...	326.32
10. सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. गृह ऋण पर व्याज सहायता योजना	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. शहरी नियोजना/डिज़ाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान	1000.00	...	1000.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2709.43	26876.57	29586.00	589.01	25855.95	26444.96	586.18	26487.82	27074.00	1475.37	28485.93	29961.30
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
13. लेखन सामग्री नियंत्रक	38.10	...	38.10	65.50	1.05	66.55	64.50	0.55	65.05	67.79	0.85	68.64
	-5.91	...	-5.91	-3.00	...	-3.00	-3.65	...	-3.65	-4.00	...	-4.00
<i>निवल</i>	<i>32.19</i>	<i>...</i>	<i>32.19</i>	<i>62.50</i>	<i>1.05</i>	<i>63.55</i>	<i>60.85</i>	<i>0.55</i>	<i>61.40</i>	<i>63.79</i>	<i>0.85</i>	<i>64.64</i>
14. मुद्रणालय	147.51	1.20	148.71	183.65	70.30	253.95	183.47	26.50	209.97	187.39	80.50	267.89
	-126.80	...	-126.80	-150.00	...	-150.00	-140.00	...	-140.00	-150.00	...	-150.00
<i>निवल</i>	<i>20.71</i>	<i>1.20</i>	<i>21.91</i>	<i>33.65</i>	<i>70.30</i>	<i>103.95</i>	<i>43.47</i>	<i>26.50</i>	<i>69.97</i>	<i>37.39</i>	<i>80.50</i>	<i>117.89</i>
15. अन्य संगठन	1.11	...	1.11	1.43	...	1.43	0.62	...	0.62
	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
<i>निवल</i>	<i>1.11</i>	<i>...</i>	<i>1.11</i>	<i>0.43</i>	<i>...</i>	<i>0.43</i>	<i>-0.38</i>	<i>...</i>	<i>-0.38</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>
16. प्रकाशन नियंत्रक	17.18	...	17.18	19.25	0.32	19.57	21.21	0.42	21.63	22.24	0.50	22.74
जोड़-सांविधिक और विनियामकीय निकाय	71.19	1.20	72.39	115.83	71.67	187.50	125.15	27.47	152.62	122.42	81.85	204.27
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
17. हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)	60.00	60.00	...	10.00	10.00	...	50.00	50.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	71.19	1.20	72.39	115.83	131.67	247.50	125.15	37.47	162.62	122.42	131.85	254.27
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
18. पीएमएवाई-शहरी												
18.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण सम्बद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-I	10820.94	...	10820.94	0.01	...	0.01	3000.00	...	3000.00
18.02 मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-II	1000.00	...	1000.00
18.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00
18.04 समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास	0.24	...	0.24	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
18.05 केंद्रीय घटक की अन्य मदें	113.33	...	113.33	253.37	...	253.37	254.38	...	254.38	182.57	...	182.57
18.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	15559.17	...	15559.17	23071.64	...	23071.64	20070.64	...	20070.64	23712.04	...	23712.04

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18.07 ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी	2159.05	...	2159.05	1773.00	...	1773.00	1773.00	...	1773.00	1771.00	...	1771.00
जोड़- पीएमएवाई-शहरी	28652.74	...	28652.74	25103.03	...	25103.03	22103.03	...	22103.03	30170.61	...	30170.61
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
19. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												
19.01 केंद्रीय घटक	9.51	...	9.51	0.01	...	0.01	16.89	...	16.89	10.00	...	10.00
19.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	537.51	...	537.51	506.11	...	506.11	290.00	...	290.00
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	547.02	...	547.02	0.01	...	0.01	523.00	...	523.00	300.00	...	300.00
शहरी पुनरुज्जीवन अभियान : एमआरयूटी और स्मार्ट सिटी मिशन												
20. अमृत (अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन)												
20.01 शहरी पुनरुज्जीवन मिशन - 500 शहर	6499.87	...	6499.87	8000.00	...	8000.00	5200.00	...	5200.00	8000.00	...	8000.00
21. स्मार्ट सिटी मिशन												
21.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	8479.70	...	8479.70	7665.97	...	7665.97	7718.34	...	7718.34	2237.00	...	2237.00
	-60.74	...	-60.74
निवल	8418.96	...	8418.96	7665.97	...	7665.97	7718.34	...	7718.34	2237.00	...	2237.00
21.02 नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस)	233.96	...	233.96	334.03	...	334.03	281.66	...	281.66	163.00	...	163.00
जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन	8652.92	...	8652.92	8000.00	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	2400.00	...	2400.00
जोड़-शहरी पुनरुज्जीवन अभियान : एमआरयूटी और स्मार्ट सिटी मिशन	15152.79	...	15152.79	16000.00	...	16000.00	13200.00	...	13200.00	10400.00	...	10400.00
22. नवप्रवर्तन, एकीकरण और स्थायित्व के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)	225.00	...	225.00
23. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)	1150.02	...	1150.02
स्वच्छ भारत मिशन												
24. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी												
24.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	42.83	...	42.83
24.02 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजना - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	1805.85	...	1805.85
24.03 सकल बजट सहायता	77.67	...	77.67	5000.00	...	5000.00	2550.00	...	2550.00	5000.00	...	5000.00
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	1926.35	...	1926.35	5000.00	...	5000.00	2550.00	...	2550.00	5000.00	...	5000.00
25. पीएम-ईबस सेवा योजना	20.00	...	20.00	1300.00	...	1300.00
26. वास्तविक वसूलियां	-105.65	...	-105.65
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	46173.25	...	46173.25	46103.04	...	46103.04	38396.03	...	38396.03	48545.63	...	48545.63
कुल जोड़	50432.46	26877.77	77310.23	50434.33	25997.27	76431.60	42737.28	26533.44	69270.72	53948.31	28628.26	82576.57

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	114.71	...	114.71	136.75	...	136.75	136.33	...	136.33	214.17	...	214.17
2. लेखन सामग्री और मुद्रण	70.08	...	70.08	115.40	...	115.40	125.53	...	125.53	123.42	...	123.42
3. लोक निर्माण कार्य	2119.54	...	2119.54	2161.11	...	2161.11	2120.91	...	2120.91	2220.46	...	2220.46
4. लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.20	1.20	...	71.67	71.67	...	27.47	27.47	...	81.85	81.85
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2351.96	2351.96	...	2133.62	2133.62	...	2494.28	2494.28	...	2600.09	2600.09
जोड़-सामान्य सेवाएं	2304.33	2353.16	4657.49	2413.26	2205.29	4618.55	2382.77	2521.75	4904.52	2558.05	2681.94	5239.99
सामाजिक सेवाएं												
6. सामान्य शिक्षा	1.11	...	1.11	0.43	...	0.43	-0.38	...	-0.38	-1.00	...	-1.00
7. आवासन	14294.71	...	14294.71	3251.70	...	3251.70	3311.31	...	3311.31	7736.94	...	7736.94
8. शहरी विकास	798.99	...	798.99	1126.47	...	1126.47	1077.38	...	1077.38	2327.64	...	2327.64
9. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	1069.30	1069.30	...	667.33	667.33	...	1004.92	1004.92	...	1101.78	1101.78
10. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	6799.31	6799.31	...	4536.15	4536.15	...	4484.17	4484.17	...	3420.11	3420.11
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.87	0.87	...	2.50	2.50	...	1.80	1.80	...	1.50	1.50
12. शहरी विकास संबंधी ऋण	...	16654.13	16654.13	...	18585.00	18585.00	...	18520.00	18520.00	...	21421.43	21421.43
जोड़-सामाजिक सेवाएं	15094.81	24523.61	39618.42	4378.60	23790.98	28169.58	4388.31	24010.89	28399.20	10063.58	25944.82	36008.40
आर्थिक सेवाएं												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	415.34	...	415.34	468.01	...	468.01	484.89	...	484.89	336.32	...	336.32
14. पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.80	0.80	...	1.50	1.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	415.34	1.00	416.34	468.01	1.00	469.01	484.89	0.80	485.69	336.32	1.50	337.82
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1165.00	...	1165.00	972.33	...	972.33	1690.00	...	1690.00
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	31956.40	...	31956.40	40671.45	...	40671.45	33440.27	...	33440.27	37988.36	...	37988.36
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	661.58	...	661.58	1338.01	...	1338.01	1068.71	...	1068.71	1312.00	...	1312.00
जोड़-अन्य	32617.98	...	32617.98	43174.46	...	43174.46	35481.31	...	35481.31	40990.36	...	40990.36
कुल जोड़	50432.46	26877.77	77310.23	50434.33	25997.27	76431.60	42737.28	26533.44	69270.72	53948.31	28628.26	82576.57

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. आवासन एवं शहरी विकास निगम	...	15260.01	15260.01	...	15290.88	15290.88	...	15355.34	15355.34	...	42219.80	42219.80
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	...	274.00	274.00	...	240.00	240.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00
3. मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं	18831.44	977.50	19808.94	19518.00	1432.00	20950.00	19449.83	1133.31	20583.14	21247.94	...	21247.94
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	4622.00	...	4622.00	3538.00	...	3538.00	3538.00	...	3538.00	3538.00	...	3538.00
5. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	60.00	...	60.00	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
जोड़	23453.44	16511.51	39964.95	23116.00	16962.88	40078.88	22997.83	16788.65	39786.48	24835.94	42519.80	67355.74

1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के फोरम (सीएलजीएफ) के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिदाय और पृथ्वी के प्रेक्षण तथा नौचालन उपग्रह मिशन की लागत की साझेदारी सहित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

1.03. **संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान संपदा निदेशालय के सचिवालयी व्यय के लिए है।

1.04. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

1.05. **अंतरराष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में 2020-21 से संयुक्त राष्ट्र मानव समाधान केंद्रों तथा राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच और आवासन एवं शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान शामिल है।

2. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 2.01-2.06

यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना से संबंधित तकनीकी, सलाहकारी और परामर्शदायी संस्थान हैं; शहरी कार्य राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए है।

2.07. **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):** यह भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को अनुदान के लिए है।

2.08. **केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन:** यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन को अनुदान के लिए है।

2.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।

2.10. **स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को अनुदानों के लिए है।

2.11. **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग:** यह प्रावधान प्रशिक्षण संस्थान सहित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) सचिवालय, स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

3. **मेट्रो परियोजनाएं:** 3.01-3.06

ये प्रावधान विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण और पासथ्रू सहायता तथा परिवहन योजना एवं क्षमता निर्माण के लिए हैं।

6. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में इक्विटी निवेश के लिए है।

7. **आवासीय:** यह प्रावधान सरकारी रिहायशी भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।

8. **गैर-आवासीय:** यह प्रावधान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, संसद, भारत के उच्चतम न्यायालय सहित गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है।

9. **प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मनिर्भर निधि के लिए है।

10. **सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम:** विभागों/यूएलबी इत्यादि के विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रिकों (पीएचई) के सेवारत अभियंत्रिकों और पैरा इंजिनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करना
11. **गृह ऋण पर ब्याज सहायता योजना:** यह योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह के लिए गृह ऋण पर ब्याज सहायता के लिए है।
12. **शहरी नियोजन/डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान:** यह प्रावधान योजना-शहरी आयोजना/डिजाइन में सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स के रूप में 4 आकदेमिक संस्थान को पहचानने के लिए है।
13. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** यह प्रावधान केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री और भण्डार की खरीद और आपूर्ति के लिए है।
14. **मुद्रणालय:** यह प्रावधान सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के लिए निर्धारित है इसमें पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय भी शामिल हैं जो सरकारी मुद्रण कार्य करते हैं।
15. **अन्य संगठन:** यह प्रावधान अन्य संगठनों के लिए है, जिसमें मुद्रण निदेशालय, फार्म स्टोर, निजी प्रेस के माध्यम से मुद्रण और पाठ्य पुस्तक प्रेस के लिए व्यय शामिल है।
16. **प्रकाशन नियंत्रक:** यह प्रावधान प्रकाशन नियंत्रक के लिए है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा विक्री करता है।
17. **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल):** यह प्रावधान इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एचपीआईएल, को सहायता प्रदान करने के लिए है जो 12.07.2018 से दूरसंचार विभाग से अंतरित हुआ है।
18. **पीएमएवाई-शहरी:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए है, जिसका लक्ष्य हर परिवार के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- 18.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण सम्बद्ध सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-I:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सी एल एस एस) -I के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / कम आय वर्ग (एलआईजी वर्ग) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 18.02. **मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-II:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सी एल एस एस) -II के तहत मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।

- 18.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) के तहत प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों द्वारा समपाश्र्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करता है।
- 18.04. **समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास:** यह प्रावधान समावेशी शहरी अभिशासन के संस्थागत विकास के लिए है।
- 18.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण गतिविधियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।
- 18.06. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान पी एम ए बाई (यू) की योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले खर्च भी शामिल हैं।
- 18.07. **ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी:** यह प्रावधान पीएमएवाई (यू) योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ऋण के ब्याज अदायगी के लिए है।
19. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** यह प्रावधान दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई)-एनयूएलएम संबंधी स्कीम के लिए है।
- 19.01. **केंद्रीय घटक:** यह प्रावधान एनयूएलएम की योजना के लिए स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए और अन्य विविध केंद्रीय घटकों के लिए है।
- 19.02. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक:** यह प्रावधान एनयूएलएम मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है।
20. **अमृत (अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन):** यह प्रावधान अमृत योजना के लिए है।
- 21.01. **100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन:** यह प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए है।
- 21.02. **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस):** यह प्रावधान स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए फ्रेंच डेवलेपमेंट एजेंसी (एएफडी) द्वारा वित्तपोषित योजना, नवाचार एकीकरण और धारणीयता हेतु शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस) के लिए है।
22. **नवप्रवर्तन, एकीकरण और स्थायित्व के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0):** यह प्रावधान फ्रेंच डेवलेपमेंट एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडराउबाउ (के एफडब्ल्यू) और यूरोपीय संघ (ईयू) की सहभागिता में सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम के लिए है।

23. **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम):** यह प्रावधान राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) योजना के लिए है।
24. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी:** यह प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के कार्यान्वयन के लिए है।
25. **पीएम-ईबस सेवा योजना:** यह प्रावधान भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए है।